

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक—4 / अ०प्र०—०७—०४ / २०१८
प्रेषक,

५३०७ अनु० / पटना, दिनांक १९।१।२०२३

अमरेन्द्र कुमार सिन्हा,
अभियंता प्रमुख।

सेवा में,

सभी अधीक्षण अभियंता,
सभी कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार।

विषय:—सेवानिवृत होने वाले कनीय अभियंताओं का पेंशनरी लाभादी का भुगतान किये जाने के पूर्व विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के संबंध में।

प्रसंग:— विभागीय पत्रांक—९७९४ अनु० दिनांक—१२.०९.२०१८ एवं पत्रांक—२२७ अनु० दिनांक—१४.०१.२०२१ महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के प्रसंग में कहना है कि सेवानिवृत कर्मियों का पेंशन/उपदान एवं औपबंधिक पेंशन के भुगतान के प्रक्रिया को सरलीकरण हेतु वित्त विभाग, बिहार, पटना का संकल्प संख्या—३०१४ वि०, दिनांक—३१.०७.१९८० (छायाप्रति संलग्न) निर्गत है, जिसके आलोक में सेवानिवृत होने वाले कर्मियों का पेंशनरी लाभादी का भुगतान की कार्यवाई ससमय सुनिश्चित की जानी है।

२. उक्त संकल्प के कांडिका—२ (घ) में उल्लेखित है कि कार्यालय प्रधान द्वारा उनके कार्यालय से के ठीक ०६ माह पूर्व सभी पेंशन कागजात पेंशन भुगतान आदेश निर्गत करने हेतु महालेखाकार के पास भेज देना चाहिए। वे पेंशन प्रपत्र एवं संलग्न कागजात की आवश्यक जाँच के पश्चात सेवानिवृति के एक माह पूर्व ही पेंशन एवं मृत्यु—सह—सेवानिवृति उपदान भुगतान के भुगतान का आदेश निश्चित रूप से निर्गत कर देंगे।

इसके साथ ही उक्त संकल्प के कांडिका—०६ (ख) में यह प्रावधानित है कि सभी पेंशन मामलों को पेंशन स्वीकृति प्राधिकारी के पास प्रशासनिक स्वीकृति हेतु भेजना नहीं है, बदले में जब सेवानिवृति पदाधिकारी, नियुक्ति प्राधिकारी के पास इस आशय का एक जाँच पत्र भेजेंगे कि अमुक मामले में क्या पूर्ण पेंशन से कटौती या कार्यवाही प्रारम्भ करने की इच्छा (Intention) है (इस कार्य हेतु पेंशन कागजात नहीं भेजना है)। इस जाँच पत्र का कोई उत्तर प्राप्त नहीं होने पर, पेंशन कागजात तैयार करने वाले पदाधिकारी यह मान लेंगे की पूर्ण पेंशन उपदान से कम स्वीकृत करने की मंशा नहीं है और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पेंशन कागजात को तैयार कर निर्धारित समय सीमा के अन्दर पेंशन भुगतान आदेश निर्गत करने के प्राधिकारी महालेखाकार, बिहार के पास भेज देंगे।

३. प्रायः यह देखा जाता है कि संवर्गीय कनीय अभियंताओं के सेवानिवृति के उपरांत उनके नियंत्री पदाधिकारी/कार्यालय प्रधान द्वारा बिना विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र/निगरानी स्वच्छता प्राप्त किये ही पेंशनरी लाभादी का भुगतान कर दिया जाता है, जो उक्त संकल्प के प्रावधानों के विपरीत है। कतिपय मामलों में ऐसा दृष्टांत परिलक्षित हुआ है कि कनीय अभियंताओं पर विभाग में विभागीय/अपराधिक कार्यवाही लंबित रहने के साथ—साथ उनके उपर अस्थायी अग्रिम की वसूलगीय राशि असमायोजित रहने के बावजूद भी सेवानिवृति के उपरांत पूर्ण रूपेण पेंशनरी लाभादी का गुणतान

संबंधित कार्यालय प्रधान द्वारा कर दिया जाता है, जिस कारण विभाग की छवि धूमिल होने के साथ संबंधित कार्यालय प्रधान द्वारा कर दिया जाता है, जिस कारण विभाग की छवि धूमिल होने के साथ संबंधित कार्यालय प्रधान द्वारा कर दिया जाता है। कई मामलों में न्यायालय के समक्ष विभाग को असहज स्थिति का भी सामना करना पड़ता है।

अतः निदेश दिया जाता है कि कनीय अभियंताओं के वार्द्धक्य सेवानिवृति होने के पूर्व निर्धारित समय सीमा के अन्दर उनका विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर एवं विभाग से एतद् संबंधी निदेश प्राप्त होने के उपरांत नियमानुकूल पूर्ण पेंशनरी लाभादी का भुगतान किया जाना सुनिश्चित करेंगे। इस हेतु एक जाँच पत्र संलग्न है, जिसमें सेवानिवृति होने वाले कनीय अभियंताओं के संबंध में सभी वांछित सूचना / प्रविष्टि दर्ज कर विभाग को उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है।
अनु०:—यथोक्त।

विश्वासभाजन

MoU/18/9/23

(अमरेन्द्र कुमार सिन्हा)

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक-4 / अ०प्र०-०७-०४ / २०१८

५-३०७

/ पटना, दिनांक १९/९/२३

प्रतिलिपि:- उप निदेशक, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ज्ञापांक-4 / अ०प्र०-०७-०४ / २०१८

५-३०७

/ पटना, दिनांक १९/९/२३

प्रतिलिपि:- सभी मुख्य अभियंता / मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, योजना एवं विकास विभाग, बिहार पटना / नोडल पदाधिकारी, सेवांत लाभ / सभी कनीय अभियंता एवं आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

MoU/18/9/23

अभियंता प्रमुख

Jas

जाँच पत्र

कनीय अभियंताओं का सेवान्त लाभ/पेंशनरी लाभ आदि भुगतान किये जाने के निमित्त विभागीय अनापति प्रमाण-पत्र प्राप्त किये जाने से सम्बन्धित जाँच पत्रः—

1. कनीय अभियंता का नाम :—
2. जन्म तिथि :—
3. नियुक्ति संबंधी आदेश :—
4. कनीय अभियंता के पद पर योगदान की तिथि :—
5. सेवा सम्पुष्टि की तिथि/आदेश संख्या एवं दिनांक :—
6. सेवा नियमितिकरण (यदि कार्यभारित/तदर्थ/दैनिक वेतनभोगी) की स्थिति :—
7. हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा उत्तीर्णता की तिथि :—
8. CCAC परीक्षा उत्तीर्णता/विमुक्ति की तिथि (साक्ष्य सहित) :—
9. नियुक्ति की तिथि से अबतक अविनियमित/असत्यापित सेवा अवधि का विवरण:—
10. तिथिवार पदस्थापन विवरणी (प्रारम्भ से अन्तिम पदस्थापित कार्यालय तक) :—
11. यदि अन्य कोई स्थिति हो, तो (लंबित अस्थायी अग्रिम एवं अन्य से संबंधित) :—

कनीय अभियंता का हस्ताक्षर

नियंत्री पदाधिकारी का हस्ताक्षर
एवं मुहर